

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- डॉ० अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 27/2026

1. महेन्द्र सिंह पुत्र हनुमानप्रसाद, जाति खाती, निवासी हेतमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
2. विशम्भर पुत्र हनुमानप्रसाद, जाति खाती, निवासी हेतमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।
3. सुभाष पुत्र हनुमानप्रसाद, जाति खाती, निवासी हेतमसर, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

---अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज०)।

---रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार, मण्डावा, जिला झुंझुनूं (राज०) मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम महेन्द्र सिंह वगैरह, अ०धा० 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, मु०नं० 15/2022, आदेश दिनांक 17.10.2022

उपस्थित :-

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 17.03.2026

प्रस्तुत अपील नायब तहसीलदार, मण्डावा के आदेश दिनांक 17.10.2022 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि०अ० के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि०अ० पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा०प० दफा 5 मि०अ० स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट का आराजी हाल ख०नं० 786 रकबा 12.93 हैक्टर गैर मु० चारागाह सरहद मौजा हेतमसर तहत तहसील मण्डावा में 0.14 हैक्टर पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने एवं 49 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिनांक 17.10.2022 को पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट्स के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में गलती की है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। जमीन जैर बहस मौके पर वास्तविक रूप से गैर मुमकीन जोहड नहीं है। अपीलान्ट्स के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई दर्ज नहीं है। अपीलान्ट्स का कब्जा पुराना है। अपीलान्ट्स की उपस्थिति में अदालत मातहत ने पटवारी/गिरदावर हल्का से तथाकथित अतिक्रमण स्थल का नाप नहीं करवाया है। पटवारी हल्का ने बतौर साक्षी अदालत मातहत के यहां उपस्थित होकर अतिक्रमण रिपोर्ट को साबित नहीं किया है।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

अपीलान्ट्स के हक में तथाकथित अतिक्रमण स्थल का पट्टा है। इस प्रकार अपीलान्ट का कब्जा ईजाजत है। कानून से ईजाजत कब्जे पर अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत के यहां एक सारवाह बिन्दू पुराने कब्जे के संबंध में उठाया था। सारवान बिन्दू का निर्धारण समरी प्रोसेडिंग के मार्फत नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत ने मियाद के बिन्दू को बिना डिसकस किये निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। तथाकथित कब्जा 50 वर्षों से भी पुराना है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि तथाकथित अतिक्रमण कब, किस साल-संवत् का है। साल-संवत् पटवारी हल्का ने जानबूझकर इसलिए दर्ज नहीं की है कि तथाकथित अतिक्रमण पुराना है और ईजाजतन है। आराजी मुतनाजा वास्तविक रूप से चारागाह के कार्य में नहीं आ रही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2022 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।


बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट्स के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में गलती की है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। जमीन जैर बहस मौके पर वास्तविक रूप से गैर मुमकीन जोहड नहीं है। अपीलान्ट्स के तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई दर्ज नहीं है। अपीलान्ट्स का कब्जा पुराना है। अपीलान्ट्स की उपस्थिति में अदालत मातहत ने पटवारी/गिरदावर हल्का से तथाकथित अतिक्रमण स्थल का नाप नहीं करवाया है। पटवारी हल्का ने बतौर साक्षी अदालत मातहत के यहां उपस्थित होकर अतिक्रमण रिपोर्ट को साबित नहीं किया है। अपीलान्ट्स के हक में तथाकथित अतिक्रमण स्थल का पट्टा है। इस प्रकार अपीलान्ट का कब्जा ईजाजत है। कानून से ईजाजत कब्जे पर अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत के यहां एक सारवाह बिन्दू पुराने कब्जे के संबंध में उठाया था। सारवान बिन्दू का निर्धारण समरी प्रोसेडिंग के मार्फत नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत ने मियाद के बिन्दू को बिना डिसकस किये निर्णय पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। तथाकथित कब्जा 50 वर्षों से भी पुराना है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि तथाकथित अतिक्रमण कब, किस साल-संवत् का है। साल-संवत् पटवारी हल्का ने जानबूझकर इसलिए दर्ज नहीं की है कि तथाकथित अतिक्रमण पुराना है और ईजाजतन है। आराजी मुतनाजा वास्तविक रूप से चारागाह के कार्य में नहीं आ रही है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2022 को अपास्त किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम हेतमसर स्थित आराजी हाल खसरा नं० 786 रकबा 12.93 है० किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.14 है० जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जो राजकीय भूमि है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला करनक्टर मुन्सुनू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्त को ग्राम हेतमसर स्थित आराजी हाल खसरा नं0 786 रकबा 12.93 है0 किस्म गैर मुमकीन चारागाह में से 0.14 है0 जमीन पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्त ने अदालत हाजा के समक्ष कथन किया है कि उनके पास विवादित भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है। अपीलान्त विवादित भूमि पर करीब 50 वर्षों से काबिज है। अदालत मातहत द्वारा विवादित भूमि के कम मे जारी पट्टे व उनके 50 वर्ष पुराने कब्जे की जांच नहीं की गई है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्त स्वीकर की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 17.10.2022 निरस्त किया जाता है तथा अपील इन निर्देशों के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्त के पट्टे व उनके पुराने कब्जे की जांच की जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिपिलक, सलकट, सुडुबुन